नगर निगम के अफसरों ने पहले लूटा, अब जांच के नाम पर कर रहे बहाने बाजी

-वार्ड पांच-छह में छह सड़कों में हुआ पचास लाख का गबन

-किसने क्या खाया, कितना खाया कोई बताने को तैयार नहीं

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) लूट और भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुके नगर निगम के अधिकारियों की हरामखोरी इस कदर बढ़ गई है कि सड़क निर्माण की जांच में घोटाला पाए जाने के बावजूद कार्रवाई के नाम पर अड़ंगा लगा रहे हैं। लगाएं भी क्यों ना, सड़क बनाने वाले ठेकेदार से मोटी रकम जो ली होगी। ठेका देते वक्त तो तेजी दिखाने वाले यह अधिकारी अब कह रहे हैं कि कौन सी सड़क किस ठेकेदार ने बनाई पहले यह तय किया जाएगा इसके बाद ही ठेकेदार का दोष तय कर कार्रवाई की जा सकती है। यह तय होने में कई बरस लगा दिए जाएंगे और मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा।

नगर निगम ने वर्ष 2019 में वार्ड नंबर पांच और छह में आरएमसी की सात सड़कें बनवाई थीं। पर्वतिया कॉलोनी निवासी राम सिंह यादव का आरोप है कि इन सड़कों के निर्माण में केवल सात माह में ही एस्टीमेट रिवाइज्ड कर खर्च में 414 प्रतिशत वृद्धि की गई और पचास लाख रुपये का घोटाला किया गया। उनके मुताबिक रिवाइज्ड एस्टीमेट में पहले और दूसरे रनिंग बिल के बीच सड़क की नापजोख, आरएमसी के घनत्व आदि में हेराफेरी की गई। यही नहीं कुछ सड़कों के ऊपर ही दूसरी सड़क बना दी गई और नीचे की सड़क उखाड़ने, मलबा ढोने आदि का भी फर्जी बिल बना दिया गया। सड़कों की लंबाई भी बढ़ा कर बताने का खेल किया गया। एस्टीमेट रिवाइज करने के लिए एसडीओ और जेई को मौके पर जाकर पैमाइश आदि कर अपनी रिपोर्ट देनी होती है लेकिन इन सड़कों के मामले में भ्रष्ट अधिकारियों ने आंख बंद कर एस्टीमेट पास कर दिया।

उन्होंने इसकी शिकायत सात अगस्त 2022 को नगर निगम कमिश्नर से की थी। शिकायत में उन्होंने सभी सड़कों के निर्माण में हुई घपलेबाजी की बाकायदा विस्तार से जानकारी दी थी। ठेकेदारों से मिलीभगत करने वाले अधिकारियों ने इस जांच को लटकाने में ही भलाई समझी। नौ माह बीतने पर भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो राम सिंह ने कमिश्नर से जांच कराने की दोबारा मांग की। मजबूर होकर कमिश्नर ने सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर को जांच कराने के निर्देश दिए। सुपरइंटेंडिंग इंजीनियर ने तीन मार्च 2023 को एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ओपी कर्दम को पत्र लिख कर राम सिंह के सामने जांच कराने के निर्देश दिए। निगम अधिकारियों ने 12 अप्रैल 2023 को जांच का नाटक किया, राम सिंह को भी साथ लिया लेकिन जांच रिपोर्ट में नोटिंग पूरी नहीं की गई। नोटिंग में जानबूझ कर झोल छोड़े गए ताकि किसी तरह मामले को टाला जाए। हुआ भी यही जांच रिपोर्ट पर सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर ओमवीर ने नोटिंग अधूरी है लिख कर ठंडे बस्ते में डाल दिया।

राम सिंह का कहना है कि जांच में सड़कों की लंबाई में ही कमी पाई गई जिसमें पच्चीस लाख रुपये का घोटाला साबित हो गया। यह रकम तो सिर्फ सड़कों की लंबाई की है अभी तो मोटाई, घटिया मटीरियल, जो चीजें लगाई ही नहीं गईं उनके बिल बाकी हैं, यदि इन सबको जोड़ा जाए तो पचास लाख रुपये से अधिक का घोटाला है जिसे अधिकारी दबाना चाहते हैं। राम सिंह के मुताबिक जांच अधिकारियों ने उन्हें सड़क निर्माण में घोटाला होने की जानकारी देकर आश्वस्त किया था कि वह जांच रिपोर्ट में यह बात दर्ज कर अधिकारियों तक पहुंचा देंगे। जाहिर है कि यह रिपोर्ट भ्रष्ट अधिकारियों ने दबा दी और बेवजह की आपत्ति लगा दी गई। उन्होंने कई अधिकारियों के यहां शिकायत कर रखी है। अब अधिकारी बहाना बना रहे हैं कि सभी शिकायतों को एक साथ देखा जाना चाहिए इसके लिए एक तारीख तय की जाएगी जिसमें सभी पक्ष बुलाए जाएंगे और फिर जिम्मेदारी तय होगी।

एसई के कुतर्क सुनिए जरा

राम सिंह की शिकायतों की जांच से घबराए सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर ओमबीर का कुतर्क है कि दरअसल वार्ड पांच और छह में जो सात सड़कें बनाई गई हैं उनमें से कौन सी सड़क किस ठेकेदार ने बनाई है यह तय नहीं हो पा रहा है। इसके लिए वार्ड पांच और छह का बड़ा सा नक्शा बनवाया जाएगा, फिर संबंधित सभी ठेकेदारों को बुलवा कर उनसे पूछा जाएगा कि उन्होंने कौन सी सड़क बनाई थी। जब ठेकेदार अपनी बनाई सड़क की जानकारी दे देंगे उसके बाद दोषी ठेकेदार की पहचान हो पाएगी।

इसे अधिकारियों की हरामखोरी ही कहा जाए कि एसई जैसे पद पर बैठे व्यक्ति को यह जानकारी नहीं है कि कौन सी सड़क बनाने का ठेका किस ठेकेदार को दिया गया था, तो वह कर क्या रहा है इस पद पर। यदि एसई महोदय ठेके की फाइल उठा कर खुद जांच लेते तो उन्हें ठेकेदार की पहचान करने के लिए बड़ा सा नक्शा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। फाइल और रिकॉर्ड में सभी दर्ज मिल जाता। अगर वह ऐसा करते तो ठेकेदार के साथ नगर निगम के अधिकारियों की लूट कमाई का भी खुलासा हो जाता।

हुआ यह खेल

रामसिंह के मुताबिक पर्वतिया कॉलोनी वार्ड छह में राकेश के घर से अमर सिंह के घर तक जिसमें हनुमान मार्ग मायाकुंज शामिल है, एम 40 ग्रेड की आरएमसी सड़क बनाने में पचास लाख का घोटाला हुआ। इस कार्य का 22,74,496 रुपये का वर्क ऑर्डर पांच फरवरी 2019 को जीएन कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम जारी हुआ। सात माह बाद यानी 13 सितंबर 2019 को इसी कार्य का 94,37,164 रुपये का रिवाइज्ड एस्टीमेट बनाया गया। महज सात माह में एस्टीमेट में 414 प्रतिशत बढ़ोत्तरी भ्रष्टाचार ही हो सकती है, क्योंकि पहला एस्टीमेट आंखें बंद कर तो नहीं बनाया गया होगा कि चार गुना से अधिक का फर्क हो। एस्टीमेट में सड़क की लंबाई1720 फीट और चौड़ाई 22 फीट बताई गई जबकि मौके पर यह सड़क महज 1388 फीट थी।

इसी तरह जवाहर कॉलोनी खंड बी में पुरानी आरएमसी सड़क तोड़े बिना ही इसे तोड़ने और लोडिंग-अनलोडिंग का बिल बना दिए गए। आरोप है यह सड़क बनाई ही नहीं गई और निर्माण सामग्री का 3,98,782 का फर्जी बिल लगा दिया गया। दस इंच मोटाई की जगह सात इंच मोटाई, सड़क के नीचे 125 माइक्रॉन मोटाई की पॉलिथीन शीट की लंबाई भी फर्जी तरह से ज्यादा बता कर बिल का भुगतान कराया गया। इसी तरह टॉर स्टील बार, माइल्ड स्टील रीइनफर्स्ड, पीवीसी पाइप आदि का इस्तेमाल हुआ ही नहीं और बिल बना दिया गया। इसी तरह का खेल अन्य छह सड़कों में भी किया गया है।

लूट कमाई का कोई मौका चूकना नहीं चाहते निगम अधिकारी

- पहले साइट बेचने में, अब अवैध निर्माण के बदले रिश्वतखोरी

- सेक्टर 42 में राइज सन बंग्लोज़ टावर के सेट बैक एरिया में बिल्डर कर रहा अवैध निर्माण

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) ग्रीन फील्ड कॉलोनी व एसओएस विलेज के निकट स्थित सेक्टर 42 में करीब 12 वर्ष पूर्व निगम ने ग्रुप हाउसिंग के लिए कुछ साइट बेचने की योजना बनाई थी। इसमें हुई लूट कमाई की ओर जाने से पहले, इनमें से एक अरिहंत व राइज़ सन बंग्लोज़ में हो रहे मौजूदा अवैध निर्माण की ओर ध्यान आकृष्ट कराना जरूरी है।

निगम द्वारा बेची गई साइटों के ऊपर बहुमंजिला रिहायशी टावर बनाने की अनुमति दी गई थी। इन टावरों के निर्माण कार्य के लिए निगम के सामान्य नियम जैसे कि नक्शा पास कराना या फ्लोर रेश्यो इत्यादि का पालन करने की शर्त अनुबंधित कर दी गई थी। अरिहंत और राइज़ सन बंग्लोज़ वाले बिल्डर ने 18-18 मंजिला दोनों टावरों का निर्माण कार्य पूरा करने के बाद अब और अधिक कमाई के लिए नियम कायदों को ताक पर रख कर एक अन्य टावर का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है।

नियमों के अनुसार दोनों टावरों के बीच में हवा -धूप आदि के लिए खाली जगह छोड़ना आवश्यक होता है। बिल्डर ने फ्लैट बेचते वक्त अपने ग्राहकों को यही नियम बताए थे। परंतु अब ग्राहकों से लगभग पूरा पैसा ले चुकने के बाद खाली स्थान में अवैध निर्माण शुरू कर दिया है।

फ्लैट खरीद चुके ग्राहक जब मौका देखने आए तो उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। ग्राहकों द्वारा इस मामले की शिकायत नगर निगम को किए जाने की धमकी का भी कोई असर बिल्डर पर नहीं हुआ। होता भी कैसे, बिल्डर तो पहले ही निगम के भ्रष्ट अधिकारियों से सांठगांठ किए बैठा था। कई ग्राहकों ने इस बाबत निगम को बार बार शिकायतें भी कीं लेकिन खाए अघाए निगम अधिकारियों के कान पर जूं तक न रेंगी। लिहाजा बिल्डर का अवैध निर्माण कार्य पूरे जोरों पर चल रहा है। इसे लेकर फ्लैट खरीदारों के बीच भारी रोष है और वे निगम व सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं।

साइट बेचने की योजना तत्कालीन निगम कमिश्नर डी सुरेश ने बनाई थी

लूट कमाई में काफी महारत रखने वाले डी सुरेश ने योजना को मोटा माल मारने की नीयत से बड़ी चतुराई से बनाया था। उनकी योजना के अनुसार गुपचुप तरीके से सारे

सौदे उनके चहेते बिल्डरों से हो जाने थे। लेकिन इसी बीच उनका तबादला हो गया और उनके बाद आए निगमायुक्त डॉ. अभय सिंह यादव ने इन साइटों को खुली नीलामी के आधार पर तीन चार गुना अधिक दामों पर बेच दिया था।

बिल्डरों ने शर्तों के अनुसार कुल कीमत का मात्र 25 प्रतिशत निगम को देकर कब्जा ले लिया था। सौदे में कुछ ऐसी खामियां जानबूझ कर निगम अधिकारियों द्वारा छोड़ दी गई थीं जिनका लाभ उठाते हुए बिल्डरों ने न तो समय पर किस्तें भरीं और न ही अब ब्याज देने को तैयार हैं। इसके परिणाम स्वरूप जहां बिल्डरों ने हजारों करोड़ कमा लिए वहीं नगर निगम के सैकड़ों करोड़ अभी तक बिल्डरों की ओर बकाया हैं।

एक अन्य पूर्व कमिश्नर मो. शाइन ने इन बिल्डरों को बकाया 200 करोड़ रुपये चुकाने अथवा साइटें जब्त करने का नोटिस जारी किया था। इस पर सारे बिल्डर उस समय तक मंडलायुक्त बन चुके डी सुरेश के पास पहुंचे थे। डी सुरेश ने सौदेबाजी करके महज ढाई करोड़ जमा कराने का बिल्डरों के पक्ष में आदेश जारी किया था। इसके बाद से मामला ठंडे बस्ते में ही है। बिल्डरों को सौदे में एक बड़ी मजेदार बात यह भी लिखी गई थी कि इन साइटों को एनएचपीसी कॉलोनी के बीच से रास्ता देकर सीधे सूरजकुंड रोड से जोड़ दिया जाएगा।

साधारण समझ रखने वाले को भी यह नजर आता है कि कोई अपने घर में से किसी को रास्ता क्यों देगा। पता तो निगम अधिकारियों को भी था लेकिन यह लूपहोल इसलिए छोड़ा गया था ताकि बिल्डर इसका लाभ उठा सकें, जो उन्होंने भरपूर उठाया भी है। इस धंधे में मोटा माल तो पुराने अफसर डकार गए अब कुछ बचा खुचा माल मौजूदा अफसर इस सौदे में तलाश रहे हैं और अवैध निर्माण ही इसका एक बेहतर जरिया उन्हें नजर आ रहा है।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 708 सैक्टर-14 फरीदाबाद से प्रकाशित किया।